न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–XIII–सह–विशेष न्यायालय उत्पाद कोर्ट नं0–I, व्यवहार न्यायालय–गोपालगंज।

उपस्थितः– **दीपक सिंह वर्मा,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–XIII–सह–
विशेष न्यायालय उत्पाद कोर्ट नं0–I, गोपालगंज।
गोपालगंज, निर्णय दिनांक :–23.03.2026

विचारण वाद संख्या–7150/2026
रजि0 नं0.– 141/2026
थावे थाना कांड संख्या–296/2025

Informant/ Complainant	राज्य (द्वारा सूचक– अमीर कुमार ठाकुर, पी0टी0सी0)
Represented by Prosecution	श्री अवधेश प्रसाद मणि, विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) श्री संदीप कुमार एवं श्री प्रत्यय अमृत, विधि परामर्शी, उत्पाद
Accused	दिगंबर गुप्ता, पे0–रामचन्द्र गुप्ता, साकिन–बिदेशी टोला, थाना–थावे, जिला–गोपालगंज। ..... अभियुक्तगण।
Represented by Defence	विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण चन्द्र सिंह एवं श्री अशोक कुमार

घटना की तिथि	21.12.2025	
प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि	21.12.2025	U/S-37
आरोप पत्र समर्पित करने की तिथि	31.12.2025	U/S-37
अभियुक्त के सारांश सुनाए जाने की तिथि	05.09.2024	U/S-37
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	05.09.2024	
निर्णय की तिथि	23.03.2026	
सजा की तिथि, यदि कोई	23.03.2026	

Accused Details:

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offences Charged with	Whether Acquitted or Convicted
1	दिगंबर गुप्ता			धारा–37 बिहार मद्य निषेध उत्पाद संसोधित अधिनियम 2022	एक वर्ष का साधारण कारावास

List of Prosecution Witnesses

Rank	Name	Nature of Evidence
P.W-1	अमीर कुमार ठाकुर	सूचक साक्षी
P.W-2	रंजन कुमार	अन्य साक्षी
P.W-3	शशि सपना	अनुसंधानकर्ता

List of Prosecution Exhibits:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	Ext. P1/PW1	ब्रेथ एनालाईजर मशीन का जॉच प्रतिवेदन।
2	Ext. P2/PW1	अभियुक्त का गिरफतारी ज्ञापन।
3	Ext. P3/PW1	प्राथमिकी हेतु टंकित आवेदन जिस पर सूचक का हस्ताक्षर है।
4	Ext. P4/PW1	टंकित आवेदन का पृष्ठाकंन
5	Ext. P5/PW3	अनुसंधानकर्ता द्वारा समर्पित आरोप–पत्र

निर्णय

01. इस वाद में नामित अभियुक्त दिगंबर गुप्ता को धारा–37 बिहार मद्य निषेध उत्पाद संसोधित अधिनियम 2022 में अभियोजित किया गया है।

02. अभियोजन का वाद संक्षेप में सूचक के टंकित आवेदन के अनुसार है कि दिनांक–21.12.2025 को जब वह डायल 112 के डयूटी में तैनात था और करीब 07:30 बजे थावे बाजार में जयगुरूदेव मेडिकल के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक व्यक्ति लड़खड़ाते हुए अनाब–सनाब बोल रहा है, जिसे संदेह के आधार पर पकड़ा। उक्त व्यक्ति के मुॅह से शराब का गंध आ रहा था। नाम पता पूछने पर अपना नाम–दिगंबर गुप्ता, पे0–रामचन्द्र गुप्ता, साकिन–बिदेशी टोला, थाना–थावे, जिला–गोपालगंज बताया। जब उक्त व्यक्ति का जॉच ब्रेथ एनिलाईजर मशीन से किया गया तो 284 m.g/100 ml पाया गया। उक्त व्यक्ति ने आगे पूछताछ करने पर इससे पूर्व वह शराब संबंधित केश में 5 बार पकड़ा जा चुका है। अतः उक्त व्यक्ति को दुबारा शराब सेवन के आरोप में गिरफतार किया गया।

03. सूचक के उक्त आवेदन के आधार पर थाना पदाधिकारी थावे द्वारा थावे थाना काण्ड संख्या–296/25, अंतर्गत धारा–37 बिहार मद्य निषेध उत्पाद संसोधित अधिनियम 2022 में दर्ज किया गया और अनुसंधान करने के पश्चात

अभियुक्त के विरूद्ध आरोप सत्य पाने पर आरोप पत्र संख्या–449/25, दिनांक–31.12.2025 अंतर्गत धारा–37 बिहार मद्य निषेध उत्पाद संसोधित अधिनियम 2022 दाखिल किया गया।

04. उक्त आरोप पत्र, काण्ड दैनिकी एवं अन्य उपलब्ध सामाग्री के आधार पर इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त दिगंबर गुप्ता के विरूद्ध संज्ञान लिया गया और विचारण के दौरान अभियुक्त के विरूद्ध धारा–37 बिहार मद्य निषेध उत्पाद संसोधित अधिनियम 2022 में दोष का सारांश को हिन्दी में पढ़कर सुनाई एवं समझाई गई, जिसे सुनकर अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवाक् नहीं किया तथा वाद विचारण का दावा किया।

05. उपरोक्त अभियुक्त का बयान दिनांक–16.03.2026 को धारा 313 द0प्र0स0 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा आरोपित आरोप से इंकार किया है तथा अपने को निर्दोष बताया है।

06. अब इस वाद में मुख्य विनिश्चय का प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप को सभी युक्ति युक्त संदेहों की छाया से परे साबित करने में सफल रहा है ?

मन्तव्य

07. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में तीन साक्षीगण अभियोजन साक्षी–1 अमीर कुमार ठाकुर, अभियोजन साक्षी–2 रंजन कुमार, अभियोजन साक्षी–3 शशि सपना को प्रस्तुत किया है। अभियोजन पक्ष की तरफ से निम्नलिखित दस्तावेजों को लिखित साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है :–

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	Ext. P1/PW1	ब्रेथ एनालाईजर मशीन का जॉच प्रतिवेदन।
2	Ext. P2/PW1	अभियुक्त का गिरफतारी ज्ञापन।
3	Ext. P3/PW1	प्राथमिकी हेतु टंकित आवेदन जिस पर सूचक का हस्ताक्षर है।
4	Ext. P4/PW1	टंकित आवेदन का पृष्ठाकंन
5	Ext. P5/PW3	अनुसंधानकर्ता द्वारा समर्पित आरोप–पत्र

बचाव पक्ष के तरफ से किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

08. अभियोजन साक्षी संख्या–01 अमीर कुमार ठाकुर ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक–21.12.2025 को जब वह थावे थाना में पदस्थापित थे और करीब 07:30 बजे थावे बाजार से गुजर रहे थे तो एक व्यक्ति को नशे के हालत में लड़खड़ाते एवं अनाब–सनाब बोलते हुए देखा, जब उसे पकड़ कर उसका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम दिगंबर गुप्ता, पे0–रामचन्द्र गुप्ता बताया और क्योंकि उसके मुँह से शराब जैसी गंध आ रही थी। इस पर उसे थाने लाया गया और थाने में उपलब्ध ब्रेथ एनालाईजर मशीन से श्वास परीक्षण किया गया जिसमें B.A.C Report 284 m.g/100 ml प्राप्त हुआ। जिससे अभियुक्त के शराब सेवन करने की पुष्टि हुई। B.A.C Repot पर मैंने अपना हस्ताक्षर बनाया तथा अभियुक्त दिगंबर गुप्ता का भी हस्ताक्षर कराया। यही वह B.A.C Report है जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूँ। पहचान करने पर प्रदर्श P1/PW1 अंकित किया जाता है। अभियुक्त का गिरफतारी ज्ञापन थाना परिसर में तैयार किया गया तथा उसकी पत्नी लवली देवी को सूचित किया गया। यह वही गिरफतारी ज्ञापन है जिस पर मेरा एवं अभियुक्त का हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूँ। पहचान करने पर प्रदर्श P2/PW1 अंकित किया जाता है। थाना अभिलेख का अवलोकन करने से तथा अभियुक्त से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त पूर्व में भी शराब सेवन एवं शराब बिक्री के आरोप में कुल–5 काण्डों में गिरफतार हो चुका है। अभियुक्त पर पूर्व से दर्ज अभियोग है– 1. थावे थाना काण्ड संख्या–49/18, धारा–37 बी0, 2. थावे थाना काण्ड संख्या–06/19, धारा–37 सी0, 3. थावे थाना काण्ड संख्या–15/21, धारा–37 बी0, सी0, 4. थावे थाना काण्ड संख्या–119/23, धारा–37, 5. थावे थाना काण्ड संख्या–02/25, धारा–30ए0। इन काण्डों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त रिपीट अफेडर है। इस आश्य का टंकित सूचना थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु मेरे द्वारा दिया गया, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, मैं अपने टंकित आवेदन को पहचानता हूँ, जिसे पहचान करने पर प्रदर्श P3/PW1 अंकित किया जाता है। मेरे आवेदन पर सहायक थाना प्रभारी के द्वारा थावे थाना काण्ड संख्या–296/25 का पृष्ठांकन किया गया, सहायक थाना प्रभारी अखिलेश कुमार, पु0अ0नि0 के हस्ताक्षर को मैं पहचानता हूँ। पहचान करने पर प्रदर्श P4/PW1 अंकित किया जाता है। अभियुक्त दिगंबर गुप्ता को पहचानता हूँ।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि मैं अभियुक्त–दिगंबर गुप्ता को नहीं जानता हूँ। घटना स्थल का चौहदी पूरब– स्टेट बैक, पश्चिम–मेडिकल दुकान, उतर–ओभर ब्रिज, दक्षिण–पी0सी0सी0 सड़क है। अभियुक्त का जॉच थाना पर लाकर ब्रेथ एनालाईजर मशीन से किया था। थावे थाना के बगल में सरकारी अस्पताल है। अस्तपातल में अभियुक्त का शराब सेवन की पुष्टि के लिए खून या पेशाब का जॉच नहीं कराया था। ऐसी बात नहीं है कि अभियुक्त को शंका के

आधार पर पकड़कर इस केश में गलत रूप से फॅसा दिये और दिगंबर गुप्ता कोई शराब नहीं पिया हुआ था।

09. अभियोजन साक्षी संख्या–02 रंजन कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मैं दिनांक–21.12.2025 को वरीय पदाधिकारी अमीर कुमार ठाकुर पी0टी0सी0 के साथ संध्या गस्ती में निकले थे कि समय करीब 07:30 बजे रात्रि में थावे बाजार में गस्ती के दौरान देखा कि एक व्यक्ति नशे की हालत में गाली–गलौच कर रहा है। जिसे हमलोगों के द्वारा पकड़ा गया और नाम, पता पूछा गया तो अपना नाम दिगंबर गुप्ता, पे0–रामचन्द्र गुप्ता बताया। नाम, पता पूछने के क्रम में उसके मुॅह से शराब जैसी गंध आ रहा था। दिगंबर गुप्ता को वरीय पदाधिकारी द्वारा अभिरक्षा में लेकर थावे थाना लाया गया और थाना परिसर में ही अमीर कुमार ठाकुर के द्वारा अभियुक्त का श्वास परीक्षण किया गया जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई थी। अभियुक्त ने पूछताछ के क्रम में यह भी बताया कि वह पूर्व में 5 बार शराब सेवन एवं शराब बिक्री के आरोप में गिरफतार हो चुका है। अभियुक्त दिगंबर गुप्ता को पहचानता हूॅ।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि मैं उस दिन अमीर कुमार ठाकुर के साथ था। अभियुक्त के पास से शराब अथवा अन्य संदेहास्पद सामाग्री बरामद नहीं हुआ था। ऐसी बात नहीं है कि मैं झूठी गवाही दिया हूॅ।

10. अभियोजन साक्षी संख्या–03 शशि सपना ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मैं दिनांक–21.12.2025 को मैं इस काण्ड का अनुसंधान भार ग्रहण की तथा वादी अमीर कुमार ठाकुर का बयान दर्ज की। जिसमें उन्होंने घटना का समर्थन किया। उसके बाद घटना स्थल का निरीक्षण किया। घटना स्थल का चौहद–डायट जाने वाली सड़क, पूरब–एस0बी0आई0 बैक थावे बाजार, पश्चिम–जयगुरूदेव मेडिकल दुकान है। वादी ने अपने बयान में बताया कि वह अभियुक्त दिगंबर गुप्ता को थावे बाजार से गिरफतार कर शराब सेवन के जॉच हेतु थाना लाये थे, जिसमें ब्रेथ एनालाईजर मशीन से जॉच करने पर B.A.C Report 284 m.g/100 प्राप्त हुआ था। थाना अभिलेख का अवलोकन करने से तथा अभियुक्त से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त पूर्व में भी शराब सेवन एवं शराब बिक्री के आरोप में कुल–5 काण्डों में गिरफतार हो चुका है। अभियुक्त पर पूर्व से दर्ज अभियोग है– 1. थावे थाना काण्ड संख्या–49/18, धारा–37 बी0, 2. थावे थाना काण्ड संख्या–06/19, धारा–37 सी0, 3. थावे थाना काण्ड संख्या–15/21, धारा–37 बी0, सी0, 4. थावे थाना काण्ड संख्या–119/23, धारा–37, 5. थावे थाना काण्ड संख्या–02/25, धारा–30 ए0। इन काण्डों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त रिपीट अफेडर है। थावे थाना काण्ड संख्या–49/18 में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–13–सह–विशेष उत्पाद न्यायालय संख्या–1, गोपालगंज

के द्वारा दिनांक–25.02.2025 को अभियुक्त–दिगंबर गुप्ता पर 2500/– जुर्माना लगाकर दण्डित किया गया है। इस काण्ड में गिरफतार अभियुक्त–दिगंबर गुप्ता, पे0–रामचन्द्र गुप्ता, साकिन–विदेशी टोला, थाना–थावे, जिला–गोपालगंज के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–449/25, दिनांक–31.12.2025 अंतर्गत धारा–37 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2022 के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित की हूँ। यही वह आरोप पत्र है जो मेरे द्वारा बोल कर टंकण कराया गया है, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानती हूँ। पहचान पर अभियोजन प्रदर्श P5/PW3 अंकित किया जाता है। अभियुक्त दिगंबर गुप्ता को पहचानती हूँ।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि जिस समय अभियुक्त दिगंबर गुप्ता का शराब सेवन का जॉच हुआ उस समय मैं वहॉ पर मौजूद थी। मुझें काण्ड का प्रभार जिस दिन प्राथमिकी दर्ज हुई उसी दिन मिला था। दिगंबर गुप्ता को मैंने रिमाण्ड कराया था। मैंने दिगंबर गुप्ता का खून, पेशाब का जॉच शराब सेवन की पुष्टि के लिए नहीं करायी थी। ऐसी बात नहीं है कि मेरा अनुसंधान त्रुटिपूर्ण है।

11. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन की ओर से किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सभी साक्षीगण छापेमारी दल के सदस्य थे तथा उनके साक्ष्यों में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विरोधाभास है जिसके कारण अभियोजन वाद संदेहास्पद हो जाता है। अभियुक्त के द्वारा कोई शराब का सेवन नहीं किया गया था। बल्कि उसे रंजिशवश गलत ढ़ंग से फॅसाया गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त के खून और यूरिन का सैपल लेकर जॉच नहीं कराया गया है, जिसके न रहने पर अभियुक्त के शराब सेवन की पुष्टि नहीं होती है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष आरोपित अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप को साबित करने में सफल नहीं रहा है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजन प्रतिरक्षा पक्ष के तर्क का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किए है कि अभियोजन पक्ष के ओर से औपचारिक प्राथमिकी, लिखिन कथन, आरोप पत्र, ब्रेथ–एनालाईजर रिपोर्ट, प्रथम दोषसिद्धि का लिखित साक्ष्यों से साबित किया है तथा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्षियों के साक्ष्य से उनकी संपुष्टि होती है। अभियोजन की ओर से प्रस्तु साक्ष्य सुसंगत, सुसंबद्ध तथा विश्वसनीय एवं

स्वभाविक साक्ष्य है उनमें कोई विसंगतियां नहीं है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक का यह भी तर्क है कि अभियुक्त को शराब पीने की पूर्व दोषसिद्धि बचाव पक्ष के ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्षियों के साक्ष्य से साबित होता है।

12. उभय पक्षों के ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुना। वाद अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि अभियोजन के ओर से कुल–3 मौखिक साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सभी साक्षियों ने इस बात का समर्थन किया है कि दिनांक–21.12.2025 को रात्रि करीब 07:30 बजे अभियुक्त नशे की हालत में गाली गलौच कर रहा था और उसके मुँह से शराब का गंध आ रहा था और जब उसका ब्रेथ एनालाईजर मशीन से जॉच किया गया तो उसकी शराब सेवन की पुष्टि हुई। उक्त जॉच रिपोर्ट प्रदर्श P1/PW1 है जो अभियुक्त के शराब सेवन की पुष्टि करती है। सभी साक्षियों के द्वारा अभियुक्त की पहचान किया गया है और कहा गया है कि यही व्यक्ति शराब सेवन किये हुए पकड़ा गया था। इस बात की सम्पुष्टि अभियुक्त के गिरफतारी ज्ञापन प्रदर्श P2/PW1 से भी होती है। साक्षी संख्या–03 जो कि इस कांड की अनुसंधानकर्ता है उसके द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के पारा–5 में कहा गया है कि अभियुक्त दिगंबर गुप्ता को थावे थाना काण्ड संख्या–49/18 में इस न्यायालय द्वारा दिनांक–25.02.2025 को दण्डित किया गया है। अभियुक्त द्वारा भी अपने धारा–313 के बयान में स्वीकार किया गया है कि वह पूर्व में 3 बार शराब पीए हुए गिरफतार हुआ है और थावे थाना काण्ड संख्या–49/18 में दिनांक–25.02.2025 को इस न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया था, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि अभियुक्त पूर्व में भी शराब सेवन के आरोप में गिरफतार एवं दण्डित हो चुका है। बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त के बेगुनाह होने के संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक साक्ष्यों तथा उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों के समीक्षोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की धारा–37 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम 2022 को सभी युक्ति युक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है।

अतः अभियुक्त दिगंबर गुप्ता को धारा–37 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम 2022 के अंतर्गत पुनः शराब के उपभोग करने के अपराध में आरोप में दोषी पाकर दोष सिद्ध किया जाता है।

आदेश

13. तदनुसार दोषसिद्ध अभियुक्त दिगंबर गुप्ता को धारा–37 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम 2022 के नियम 18 (4) उपबंध के अंतर्गत एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा दी जाती है, साथ ही वाद की कार्यवाही के क्रम में अभियुक्त द्वारा व्यतीत की गई कारावास की अवधि को धारा 428 द0प्र0स0 के अंतर्गत अधिरोपित कारावास से मुजरा करने का आदेश दिया जाता है। अधिपत्र (Conviction Warrant) निर्गत करें। कार्यालय निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी, गोपालगंज को अविलंब प्रेषित करें।

(यह निर्णय खुले न्यायालय में पढ़कर अभियुक्त को सुनाया गया तथा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया)

मेरे द्वारा लेखापित एवं शुद्धिकृत

(**दीपक सिंह वर्मा**)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–XIII
–सह–विशेष न्यायालय उत्पाद कोर्ट
नं0–I, गोपालगंज।
दिनांक 23.03.2026

लेखापित

(**दीपक सिंह वर्मा**)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–XIII
–सह–विशेष न्यायालय उत्पाद कोर्ट
नं0–I, गोपालगंज।
दिनांक 23.03.2026